

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल जिला सिवनी

एक वर्ष हेतु सुदाना परिवहन दर

आमंत्रण तृतीय अल्पकालीन

ई-निविदा

--::-- निविदा प्रपत्र --::--

वर्ष 2020-21

(इकाई- जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर )

दूरभाष क्र० 9630860012

E- Mail : cff.bandole@gmail.com



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

:- निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :-

सुदाना परिवहन

S.No.	Process Details	Date/time (Hrs.)
1	Purchase of Tender Start Date	11.11.2020/12:00 PM
2	Purchase of Tender End Date	23.11.2020/12:00 PM
3	Bid Submission End Date	23.11.2020/12:00 PM
4	Mandatory Submission (Envelop - A) Open Date	24.11.2020/12:00 PM
5	Financial Bid (Envelop - C) Open Date	तकनीकी प्रपत्र सँफल होने के पश्चात

निविदा खोलने का स्थान :- पशु आहार संयंत्र-बण्डोल, सिवनी (म.प्र.)

अमानत राशि :- रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) का भुगतान ऑन-लाईन ही किया जाना है। अर्नेस्ट मनी शासन की बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) में ऑन-लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे।

प्रतिभूति राशि :- रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) अनुबंध के समय बैंक ड्राफ्ट जो **CATTLE FEED FACTORY BANDOL SEONI** के पक्ष में देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट :- शर्त क्र0 11 अनुसार मांगे गये दस्तावेज ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत करें।

प्रभारी महाप्रबंधक



## जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

### पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

#### —: पशु आहार परिवहन की शर्तें :—

1. पशु आहार, सुदाना परिवहन निविदा की दरें ई—निविदा के माध्यम से आनलाईन प्राईसबिड से ही स्वीकार होंगी।
2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावे।
3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें “रूपया प्रति मी.टन”(One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।
4. परिवहनकर्ता ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा एवं परिवहन निविदाकर्ता को रु. 1000/- का स्टाम्प पेपर प.आ.संयंत्र-बण्डोल को प्रदाय कर दर स्वीकृति संबंधी आदेश दिये जाने की दिनांक से 15 दिवस की समय-सीमा में अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
5. साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहता है, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन भरे जावेंगे।
6. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रो/संयंत्रो पर तत्काल भेजा जाना है तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता ठेकेदार का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय परिवहनकर्ता ठेकेदार को मान्य करना बंधनकारी होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता ठेकेदार को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप (विल्टी) पर गंतव्य स्थान, गाडी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन परिवहनकर्ता ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खडा नही किया जावेगा। यदि गाडी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते हैं तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता ठेकेदार का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नही करेगा।
8. यदि परिवहनकर्ता ठेकेदार स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नही होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता ठेकेदार पर रु0 1000/- (रु0 एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।



9. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुंचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुंचने में लगता है। विलंब की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी।
10. अगर परिवहनकर्ता ठेकेदार के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता ठेकेदार के वाहन में खराबी का कारण, वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध शीत केन्द्र/संयंत्र/समिति/संस्था तक पहुंच जावेगा इसकी जानकारी संबंधी पत्र ई-मेल/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनिवार्यतः कार्यालय में देना होगी।
11. परिवहनकर्ता ठेकेदार के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं के तीन वाहन (ट्रक) होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता उक्त दस्तावेज जो कि 09 मी.टन तथा इससे अधिक भार क्षमता के होंगे निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। यदि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो निविदा अयोग्य मानी जावेगी अथवा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
12. पशु आहार संयंत्र-बण्डोल द्वारा सामान्यतः 20-25 मी.टन साथ ही कभी-कभी 09 मी.टन परिवहन कराया जाता है। अतः सफल परिवहनकर्ता ठेकेदार को मांगानुसार क्षमता के वाहन परिवहन कार्य हेतु प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
13. परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये। पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने-कटने की दशा में परिवहनकर्ता ठेकेदार को नुकसान का वहन करना होगा।
14. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों/अन्य संस्थाओं के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबाबदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीतकेन्द्र/अन्य संस्थाओं द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
15. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। ट्रक उपलब्ध न कराने पर रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है तथा इस व्यवस्था में आधिक्य भुगतान की राशि परिवहनकर्ता ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।
16. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना/कॉफ स्टार्टर/मिनरल मिक्सचर, में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
17. पशु आहार संयंत्र से यदि दो बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य परिवहनकर्ता ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. दुग्ध शीत केन्द्रों/संयंत्रों आदि से सुदाना की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य सुदाना की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है।
19. परिवहनकर्ता ठेकेदार 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र बण्डोल, सिवनी कार्यालय में भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करों का कटौती कर किया जावेगा। देयकों का भुगतान देयक प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की समय-सीमा में किया जावेगा। यदि परिवहन परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा निविदा में वर्णित विधि अनुसार तथा वांछित दस्तावेज सहित देयक



प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो देयकों के विलंब से भुगतान हेतु परिवहनकर्ता ठेकेदार स्वयं जबाबदार होंगे।

20. अनुबंध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तदपि परिवहनकर्ता ठेकेदार का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर द्वारा स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर एक वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी। अगला ठेका न होने की स्थिति में 03 माह की समय वृद्धि करना प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में होगा।
21. पशु आहार संयंत्र गोदाम से वाहन तक पशु आहार लाने की व्यवस्था संयंत्र स्तर से की जावेगी। जिस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा संघ की अनुमोदित दर के आधार पर किया जावेगा। इसके पश्चात् वाहन लोडिंग कर, निर्धारित स्थान पर अनलोडिंग कर गोदाम में निर्धारित स्थान पर जमाने की व्यवस्था परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा की जावेगी तथा इसका व्यय भी परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। इसका किसी भी दशा में भुगतान संघ/बी.एम.सी./समिति द्वारा नहीं किया जावेगा।
22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी।
23. परिवहनकर्ता ठेकेदार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए। यदि वाहन चालक की असावधानी से संयंत्र की संपतियों व कार्यरत कर्मचारियों आदि की जान-माल की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व परिवहन परिवहनकर्ता ठेकेदार का होगा तथा हानि की राशि परिवहनकर्ता ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
24. दोनों पक्षकारों के बीच हुए ठेके के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा। The arbitration proceedings shall be under and accordance with the provision of Arbitration and Conciliations Act 1996
25. परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता ठेकेदार की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।
26. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) का भुगतान ऑन-लाईन ही किया जाना है। अर्नेस्ट मनी शासन की बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) में ऑन-लाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। विभाग में जमा अर्नेस्ट मनी पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
27. ई-निविदा ऑन-लाईन शासन की बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) में ही प्रस्तुत की जानी है। निविदाकर्ता द्वारा दर प्रस्ताव ऑनलाईन ही निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। भौतिक रूप से दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर निविदा अमान्य मानी जावेगी।
28. ई-निविदा ऑन-लाईन शासन की बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) में ही प्रस्तुत की जानी है। निविदाकर्ता द्वारा I.आर.टी.ओ. संबंधी वांछित दस्तावेज कंडिका(11) अनुसार II. निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति (प्रत्येक पृष्ठ पर) ऑनलाईन में जमा करना अनिवार्य है। भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
29. बिन्दु क्रं. 27 व 28 में वर्णित अनुसार निविदाकार निर्धारित दिनांक व समय तक ऑन-लाईन शासन की बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर निविदा अपलोड करें समय समाप्त होने के पश्चात् पशु आहार संयंत्र कार्यालय बण्डोल, जिला-सिवनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डाक से प्रेषित कर भौतिक निविदा विभाग जबाबदार नहीं होगा।



30. निर्धारित निविदा प्रपत्र ऑन-लाईन शासन की बेबसाईट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से निर्धारित दिनांक व समय तक क़य किये जा सकते हैं। निविदा में वर्णित नियम व शर्तों हेतु निविदा प्रपत्र मात्र पठन हेतु एमपीसीडीएफ की बेबसाईट [www.mpcdf.nic.in](http://www.mpcdf.nic.in) के फ़ोल्डर – “निविदाएं” – “पशु आहार संयंत्र-बण्डोल” में भी उपलब्ध है।
31. निविदाकर्ता जो कि एमपीसीडीएफ के अंतर्गत दुग्ध संघ व पशु आहार संयंत्रों के द्वारा कालीसूची में दर्ज किये गये हैं, वह निविदा हेतु अयोग्य माने जावें तथा निविदाकर्ता को निविदा के साथ रू. 50 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र (नोटराईज) प्रस्तुत करना होगा कि “निविदाकर्ता का नाम एमपीसीडीएफ के अंतर्गत दुग्ध संघों व पशु आहार संयंत्रों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है तथा यदि ऐसा पाया जाता है कि उसके द्वारा असत्य जानकारी दी गई है, तो निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावे।”
32. निविदा स्वीकृत होने की दिनांक से निर्धारित समय-सीमा 07 दिवस में “CATTLE FEED FACTORY BANDOL” के पक्ष में प्रतिभूति राशि रू. 2,00,000/- डी.डी. द्वारा जमा करना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि में अर्नेस्ट मनी समायोजित की जा सकेगी। विभाग में जमा प्रतिभूति राशि में किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। पूर्व में या जिन परिवहनकर्ता ठेकेदारों द्वारा दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों पर सुदाना परिवहन कार्य सम्पादित किया जा रहा है, उन्हें अलग से दोबारा अमानत राशि जमा करनी होगी, पूर्व की राशि किसी भी दशा में समायोजित नहीं की जावेगी।
33. परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्त लगाई जाती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।
34. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तार नामा है। इस प्रकार की उक्त फर्म “भारतीय भागीदार अधिनियम” के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
35. ठेका समाप्त होने पर परिवहनकर्ता ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत 60 दिवस की समय-सीमा में परिवहनकर्ता ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी।
36. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रू0 लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01	ट्रक,	04 कि.मी

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

37. परिवहनकर्ता ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।
38. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुंचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयको का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर परिवहनकर्ता ठेकेदार के देयको से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर कटौती किया जावेगा।



- 39.(I) परिवहनकर्ता ठेकेदार के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, जी.एस.टी. तथा समय-समय पर लगाये जाने वाले करों का कटौती नियमानुसार परिवहन देयकों से किया जावेगा। परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा दर में G.S.T. सम्मिलित नहीं होगी। परिवहन पर G.S.T. लागू होने की दशा में परिवहनकर्ता यदि G.S.T. राशि देयक में चार्ज करेगा तो उसे G.S.T. का भुगतान अतिरिक्त रूप से किया जावेगा, परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा G.S.T. का भुगतान शासकीय खाते में जमा कर चालान दुग्ध संघ/पशु आहार को प्रस्तुत करना होगा।
- 39.(II) परिवहनकर्ता द्वारा PAN नम्बर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगा तथा PAN नम्बर उपलब्ध नहीं कराने की दशा में 20% आयकर का कटौती संबंधित परिवहनकर्ता के देयकों से किया जावेगा।
40. संयंत्र में भरने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर-ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।
41. सुदाना भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्याप्त प्रस्तुत करने के पश्चात ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता ठेकेदार/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगे।
42. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पशु आहार संयंत्र बण्डोल द्वारा पत्रों से सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता ठेकेदार को काली सूची में सूचीबद्ध किया जावेगा।
43. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता ठेकेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा जिस हेतु परिवहनकर्ता ठेकेदार जबाबदार होगा।
44. समस्त अदालती विवाद सिवनी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जबलपुर सह. दुग्ध संघ मर्या. जबलपुर



## जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

### पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

पशु आहार संयंत्र बण्डोल (सिवनी) से विभिन्न स्थानों पर पशु आहार भेजे जाने के लिये परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा एक वर्ष के परिवहन के लिए भरी जाने वाली दरें (रूपये प्रति मैट्रिक टन) इस प्रपत्र में दी जाना है। वाहन अनुमानित दूरी से गन्तव्य स्थान की समिति तक लगभग 60 कि.मी. चलन कर सकता है।

#### पशु आहार संयंत्र बण्डोल से आपूर्ति किये जाने वाले स्थानों की सूची

कं	समिति का नाम	किमी. अनुमानित दूरी	दर (रूपये प्रति मैट्रिक टन)	
			अंको में	शब्दों में
1	धनौली	210	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
2	चंद्रपुर	310	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
3	बुट्टीबोरी (नागपुर)	200	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
4	अमरावती	300	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
5	परतवाड़ा	300	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
6	वर्धा	223	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
7	बुलढाना	500	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
8	नादेड़	487	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
9	बदनापुर (जालना)	577	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
10	कालम (औसमानाबाद)	756	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
11	अहमदपुर (लातुर)	660	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें
12	लातुर	600	ऑनलाईन भरें	ऑनलाईन भरें

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

पशु आहार संयंत्र बण्डोल, जिला सिवनी

अनुलग्नक - द.

पशु आहार संयंत्र बण्डोल सिवनी/दुग्ध समितियों एवं शासकीय संस्थाओं हेतु सुदाना परिवहन की दरें परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा पृष्ठ क्रमांक 8 में दी जाना है

हमें/मुझे निविदा (टेण्डर) एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्तें मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूं। ये भाव पशु आहार संयंत्र बण्डोल (सिवनी) से उपरोक्त दर्शायें गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये है।

हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_

नाम

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

पता

\_\_\_\_\_